

(सफ - 1(सी)/7/2016/ई-पार)

छब्वीस-२ सचिवालय

विषय: - याचिका क्रमांक 385/2016/ई-पार
प्रसाद शिवनकर विरुद्ध महय प्रदेश शासन एवं अन्य

पा. वि. मंत्री जी
का विभाग

पंजी. क्रमांक - 585/2016/ई-पार

द्वारा - भा. उच्च न्यायालय
म. प्र. जलपुर

1-1-59/2

कृपया विचारार्थ नोटिस का अवलोकन कीजिए।
भा. न्यायालय द्वारा विधायकित याचिका के संदर्भ में
नोटिस जारी कर दिनांक 04.03.2016 तक जवाबदाता
प्रस्तुत कराये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

याचिकाकर्ता श्री गणेश प्रसाद शिवनकर द्वारा
समाप्त प्रशासन विभाग द्वारा संविलियन योजना अंतर्गत
निम्न पद पर संविलियन किये जाने से व्यक्त होकर
भा. न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका प्रस्तुत की गई
है। एवं याचिका में प्रतिवादियों के रूप में क्रमांक-1 पर
प्रमुख सचिव, महय प्रदेश शासन वित्त विभाग.
मंत्रालय वल्लभ नवन भोपाल " क्रमांक-2 पर

" संचालक, अस्थायी निधि- संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल "
को प्रतिवादी बनाया गया है। जिससे प्रकरण में
शासन का पक्ष समर्पित कराया जाना आवश्यक होगा।

2/- विधायकित याचिका भा. उच्च न्यायालय जलपुर

(रफ्त - 1 (सी)/7/2016/डी-आर)

०

उत्तरी-२ सचिवालय


विषय: याचिका क्रमांक ४८८४. पी. ६७१/२०१६ श्री गणेश प्रसाद
रिपनपुर विरुद्ध महय प्रदेश शासन एवं अन्य।

मा. वित्त मंत्रीजी
का विभाग

वर्तमान स्थिति:-

के समक्ष विचारधीन है। अतः प्रकरण में प्रभारी
अधिकारी के रूप में "संबंधित संचालक, क्षेत्रीय
कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा जलपुर" को
नियुक्त किया जाना उचित होगा।

ह. अनुमोदनार्थ


03.03.16

ह. अनुमोदनार्थ


अ. अ.

अ. अ. सचिव

DSCS

3/3/16

सचिव


3/3/16
(सुषमा शर्मा)
उप सचिव वित्त

As proposed

DS (L)


4/3

(Anuruddhe Mukorjee)
Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh
Finance Department

रिपन

(रफ - 1 (सी) / 7 / 2016 / ई-पार)

(रफ)

उपवीस-२ सचिवालय

विषय :- मासिक प्रमाणित उत्पन्न पी. 671/2016 की घोषणा
प्रसाद विपनकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन एवं अन्य

मा. फिल
का विभाग

रफ हस्त से :-

रफ हस्त पर अनुमोदन उपरान्त प्रभारी अधिकारी
की निम्नलिखित आदेश की प्रतिलिपि प्रमाणित करार
प्रस्तुत।

35.38.

35.38
5/3
6

Y. J. J.
05.3.16

5/3
5/3
5/3

मा. फिल

मासिक प्रमाणित 606/607
दिनांक 8/3/16 ई. पार


(रफ - 11/3/16/2016/ई-आर)

डब्ल्यू-२ सचिवालय

विषय :- आचार्य कृमांक डब्ल्यू. पी. 671/2016/ई-आर का विभाग
प्रसाद दिवस कर विसर्ज मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य

प्रतिष्ठित है:-


प्रकरण के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी की
निम्नलिखित आदेशों संवाचित किये जा चुके हैं प्रकरण
में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु गलत विधि-
विभाग को संकेत कला-वाहेंगे।


09.03.16

डा. डा.

आचार्य (ई-आर)

विधि/विभाग


9/3

9/3/16

माह

7529

**मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

क्रमांक एफ-1(सी)/7/2016/ई/चार:- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.671/2016 श्री गणेश प्रसाद शिवनकर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने। आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी.
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा.
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा.
- (5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा.
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजेगा :-
- (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट.
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप.
- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है.
- (घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
- (7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना.
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना.
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा.

- (10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छूपी हुई नहीं रह जाए।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(श्रृंखला संगीने)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 8/3/2016

पृष्ठांकन क्रं. एफ-1(सी)/7/2016/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

.IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 20377/2016

WP/671/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

महोदय न्यायाधीश
विवेक (585 स्वामिना)
वर्गी क्रमांक #13/16 दिनांक 04-02-2016
For admission
Fixed for 04-03-2016
WP-DA-23
Respondent No. 1

To,

State Of Madhya Pradesh,
Through Principal Secretary ,
Department Of Finance ,
Vallabh Bhawan Mantralaya,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH)

Jabalpur 04-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 671/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Ganesh Shankar has filed a petition under Article 226 of the Constitution (copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/671/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



Your faithfully

[Signature]
DEPUTY REGISTRAR